

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक 810, /14-1, दिनांक: औरैया: अक्टूबर 05, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

विषय:- मा10 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के लिए दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु वन विभाग की 3.943 हे0 आरक्षित वनभूमि के विनिमय के सम्बन्ध में गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 508 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/REHAB/149021/2021)

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या- 2979/11सी-FP/UP/REHAB/149021/2021 दिनांक 17.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में चाही गयी बिन्दुवार सूचना आख्या तैयार कर 03 प्रतियों में आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र0सं0	बिन्दुवार	आख्या
1	2	3
1	वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथासंशोधित वन (संरक्षण) रूल्स 2022 में विनिमय के आधार पर वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग की कोई व्यवस्था है?	Land Transfer through Exchange है।
2	प्रस्ताव में उल्लिखित है कि वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के प्रभावित समतुल्य भूमि राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा ग्रामवासियों को बसने हेतु ऊँचाई पर क्यों नहीं भूमि उपलब्ध करायी जा रही है, क्या राजस्व विभाग के पास ऊँचाई वाले स्थान पर भूमि नहीं है?	उक्त ग्राम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त ऊँचाई पर कोई भी अन्य भूमि राजस्व विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।
3	उपलब्ध करायी गयी आख्या में त्रुटिवश विनिमय शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में रक्षित सभी प्रमाण पत्रों को संशोधित क्यों नहीं किया गया है और यह भी स्पष्ट किया जाये कि त्रुटि किस स्तर पर हुई है?	Land Transfer through Exchange अंकित कर विनिमय शब्द हटा दिया गया है। संशोधित प्रस्ताव के अभिलेखों को अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

(राकेश कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक / समदिनांकित

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक

/14-1 दिनांक: औरैया: अक्टूबर

05, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के लिए दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु वन विभाग की 3.943 हे0 आरक्षित वनभूमि के विनिमय के सम्बन्ध में गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 508 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/REHAB/149021/2021)

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या- 2979/11सी-FP/UP/REHAB/149021/2021 दिनांक 17.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में चाही गयी बिन्दुवार सूचना आख्या तैयार कर 03 प्रतियों में आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र0सं0	बिन्दुवार	आख्या
1	2	3
1	वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथासंशोधित वन (संरक्षण) रूल्स 2022 में विनिमय के आधार पर वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग की कोई व्यवस्था है?	Land Transfer through Exchange है।
2	प्रस्ताव में उल्लिखित है कि वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के प्रभावित समतुल्य भूमि राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा ग्रामवासियों को बसने हेतु ऊँचाई पर क्यों नहीं भूमि उपलब्ध करायी जा रही है, क्या राजस्व विभाग के पास ऊँचाई वाले स्थान पर भूमि नहीं है?	उक्त ग्राम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त ऊँचाई पर कोई भी अन्य भूमि राजस्व विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।
3	उपलब्ध करायी गयी आख्या में त्रुटिवश विनिमय शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में रक्षित सभी प्रमाण पत्रों को संशोधित क्यों नहीं किया गया है और यह भी स्पष्ट किया जाये कि त्रुटि किस स्तर पर हुई है?	Land Transfer through Exchange अंकित कर विनिमय शब्द हटा दिया गया है। संशोधित प्रस्ताव के अभिलेखों को अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

(राकेश कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक 010 / समदिनांकित

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया